

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज- दिनांक- जुलाई 25, 2021

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 152 वाहनों का चालान व 01 वाहनों से 1000/ रु0 शमन शुल्क वसूला गया।

कोरोना महामारी के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर ***मास्क न लगाने वाले कुल- 02 व्यक्तियों से 2000/- रुपये शमन शुल्क*** वसूला गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 18 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए 290 भादवि मे 14 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही

थाना श्यामदेउरवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त सोहन केवट पुत्र अशरफी नि0 बेलासपुर नर्सरी थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-147/21, धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त जितेन्द्र पुत्र तिरथ नि0 रानीपुर थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-152/21, धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना बृजमनगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त दयालू पुत्र जमुना नि० कवलपुर थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली० कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-180/21, धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त सुभाष यादव पुत्र बृजलाल नि० बेलवा थाना ठूठीबारी जनपद महाराजगंज के कब्जे से 13 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-288/21, धारा-60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

थाना परसामलिक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता रिना पत्नी मदन नि० कुकेशर थाना परसामलिक जनपद महाराजगंज के कब्जे से 70 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-88/21, धारा-60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

थाना नौतनवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त बन्टी सरदार सा० अज्ञात के कब्जे से 36 शीशी नेपाली शराब, 07 अदद अध्धा, 44 शीशी अंग्रेजी, 68 केन वियर व 05 अदद पौवा बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-158/21, धारा-60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

कस्टम अधिनियम के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही-

थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1. रुपेश पुत्र कालीराम सा० 613/88 गौरबीर मोतीपुरम थाना मडियाव जनपद लखनऊ के कब्जे से 226 पीस ज्वेलरी 2. नाम पता अज्ञात के कब्जे से 174 पीस बेल्ट व 77 पीस सूल व 02 अदद पुरानी साइकिल बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०- निल/21, धारा- 113 कस्टम अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

गुण्डा अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1-अभियुक्त पुत्र अवधेश 2-प्रिन्स पुत्र ओमप्रकाश 3-संतोष पुत्र राममृक्ष 4.पन्नेलाल पुत्र राजेन्द्र नि०गण नेहरुनगर 5.तारकेश्वर पुत्र शम्भु निवासी बरवा विद्यापति थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०- निल/21, धारा-3/4 गुण्डा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-10 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

जनपद में 24/25-07-2021 को विभिन्न अपराधों में कुल- 24 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।

